

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(वित्त अनुभाग) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक: 1941/ई0आई0सी0/एफ.सी0/वर्क/2024-25 दिनांक : 11 सितम्बर 2024
सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी
उत्तरकाशी/श्रीनगर/पिथौरागढ़।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में बजट निर्गमन।

संदर्भ 1. शासन आई डी - 66450/232010/2024 दिनांक 12.08.2024
2. पत्रांक 283/प्र.अ./बजट/बी-1/आवंटन/कैम्प, दिनांक 28.08.2024

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्रों में निहित प्राविधानों द्वारा योजनावार/खण्डवार
आवंटन के क्रम में निम्न विवरणानुसार कुल ₹ 226.97 लाख (रु० दो करोड़ छब्बीस
लाख एवं सतानबे हजार मात्र) का ई-बजट अवमुक्त किया जा रहा है।

क्र स	योजना का नाम	खण्ड का नाम	डी० डी० ओ० कोड	कोषागार/ वरिष्ठ कोषागार /मुख्य कोषागार	वर्तमान में जारी बजट (रु० लाख में)
01	02	03	04	05	06
1	20/4700-03	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	4805	श्रीनगर	78.48
2	-001-03-00	लघु डाल खण्ड, उत्तरकाशी	4808	उत्तरकाशी	70.01
3	-53- वृहद निर्माण	लघु डाल खण्ड पिथौरागढ़	4804	पिथौरागढ़	78.48
योग					226.97

कृपया उपरोक्त विवरणानुसार खण्डवार/अलोटमेंट आई०डी० वार अवमुक्त
साख-सीमा के सापेक्ष ई०-बजट के माध्यम से भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही करने का कष्ट
करें।

संलग्न - खण्डवार/अलोटमेंट आई०डी० वार निर्गत ई-बजट

(जगत सिंह चौहान)
वित्त नियंत्रक

पत्रांक: 1941/ई०आई०सी०/एफ०सी०/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड कोलागढ़, देहरादून।
2. सचिव (सिंचाई) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मुख्य वैयक्तिक अधिकारी को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,।
5. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

(जगत सिंह चौहान)
वित्त नियंत्रक

9
11/9/24